



न्यायालय – भूमि सुधार उप-समाहर्ता, खूँटी

दा० खा० अपील वाद सं०– 91/2019-20

आवेदक/प्रथम पक्ष – बाल मुकुन्द साहु पिता बुधु साहु
ग्राम-बकसपुर, थाना-कर्का, जिला-खूँटी।

विपक्षी/द्वितीय पक्ष – 1. अंचल अधिकारी, कर्का।
2. गोविन्दनाथ साहदेव पिता लक्ष्मीनाथ साहदेव
ग्राम-बकसपुर, थाना-कर्का, जिला-खूँटी।

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई										
22.12.20	<p>अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।</p> <p>आवेदक ने वर्तमान वाद दा० खा० वाद सं०-182R27/18-19 में अंचल अधिकारी, कर्का द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.2018 के विरुद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना/थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>प्लॉट नं०</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>बकसपुर</td> <td>कर्का 02</td> <td>67</td> <td>118</td> <td>1.14</td> </tr> </tbody> </table> <p>अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, कर्का के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा आवेदक द्वारा विलम्ब से वाद दायर करने संबंधी U/S 5 of the Limitation Act के तहत आवेदन दाखिल किया गया। अपील संस्थित करने वो सुनवाई का पर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा० खा० अपील वाद को अंगीकार किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि आवेदक ने उक्त भूमि गोविन्दनाथ साहदेव पिता लक्ष्मीनाथ साहदेव ग्राम बकसपुर थाना कर्का से रजिस्ट्री पट्टा सं० 143/144 दिनांक 27.03.1992 के द्वारा क्रय किया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, कर्का के प्रतिवेदन अनुसार ऑनलाईन नहीं खुलने एवं केवाला पट्टा प्राप्त नहीं होने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की है।</p> <p>अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया कि विक्रेता अथवा उनके भैयाद एवं उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति नहीं है। अंचल अधिकारी द्वारा ना तो विवादित जमीन की उचित जांच की गयी है न संबंध पत्र का साक्ष्य लिया गया है तथा बिना सुने दाखिल खारिज का निपटारा कर दिया गया है। अंत में अपील स्वीकार करने की प्रार्थना करते है।</p> <p>अधिवक्ता के बहस को सूना एवं दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन किया। उपरोक्त वाद में विपक्षी का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, कर्का को Remand करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आवेदक से पुनः आवेदन प्राप्त करते हुए दाखिल-खारिज हेतु न्यायसंगत कार्रवाई की जाय। आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि अंचल अधिकारी के समक्ष मूल रूप में दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रस्तुत करे।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> 22/12/20 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p> 22/12/20 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	मौजा	थाना/थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा(एकड़ में)	बकसपुर	कर्का 02	67	118	1.14	
मौजा	थाना/थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा(एकड़ में)								
बकसपुर	कर्का 02	67	118	1.14								